ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 147-150

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

जौनपुर के विकास में इलाहाबाद बैंक के योगदान का एक मूल्यांकन : (इलाहाबाद बैंक द्वारा घोषित योजना)

डॉ0 विवेक सिंह

असि0 प्रोफेसर– वाणिज्य, राणा प्रताप पी0जी0 कालेज, सुल्तानपुर (उ0प्र0), भारत

Received-30.07.2022, Revised-05.08.2022, Accepted-09.08.2022 E-mail:vivek.rppg21@gmail.com

सारांश:– 1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना:– केन्द्र सरकार द्वारा 1.04.99 में गरीबी उन्मूलन की कुल योजनायें समाप्त करके उनके स्थान पर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई है। जो योजनायें समाप्त की गई हैं, उसके नाम निम्न प्रकार हैं–

(1) जौनपुर के विकास में इलाहाबाद बैंक के योगदान का एक मूल्यांकन (इलाहाबाद बैंक द्वारा घोषित योजना)

(1) आई0आर0डी0पी0
(2) ट्राइसेम
(3) ड्वकारा
(4) उन्नत टूलकिट्स वितरण योजना
(5) गंगा कल्याण योजना
(6) दस लाख कूप योजना

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना उपरोक्त 6 योजनाओं के स्वरूप बदलकर बनाई गई है। अर्थात् जिस प्रकार आई0आर0डी0पी0 में ऋण एवं अनुदान वितराण, ट्राइसेम में प्रशिक्षण, दवाकारा में महिला समूह गठन, उन्नत टूलकिट्स वितरण योजना में उन्नत औजारों का वितरण, गंगा कल्याण योजना में अल्प सिंचाई साधन उपलब्ध कराया जाना, दस लाख कूप योजना में बड़े सिंचाई कूप निर्माण किया जाता रहा है। यह सभी कार्य स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत होंगे। परन्तु इनके क्रियान्वयन के क्रम समय एवं स्वरूप परिवर्तित कर दिये गये हैं।

कुंजीभूत शब्द– स्वरोजगार योजना, अनुदान वितराण, ट्राइसेम में प्रशिक्षण, दवाकारा, महिला समूह गठन, संकल्पना।

इस नई योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की क्षमतानुसार ग्रामीणों की छोटी–छोटी इकाइयाँ स्थापित करना है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सके एवं तीन वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–

(1) योजना का उद्देश्य–

(क) प्रत्येक चयनित स्वरोजगारी को तीन वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाना है।

(ख) प्रत्येक चयनित स्वरोजगारी परिवार की तीन वर्षों के अन्त तक मासिक आय रू0 2000 से कम न हो।

कौन स्वरोजगारी हो सकता है–

वह व्यक्ति जो गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार का सदस्य हो तथा बैंक का डिफाल्टर न हो।

(2) योजना का लक्ष्य– प्रत्येक विकास खण्ड के गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के 30 प्रतिशत परिवारों को 1999 से 2004 तक लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

(3) योजना की रणनीति– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार की संकल्पना छोटे उद्यमों के एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम की है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू आच्छादित हैं, जैसे ग्रामीण गरीबी का स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठन तथा उनको सशक्त करना, क्रियाकलाप क्लस्टर, अवस्थापना सुविधाओं एवं तकनीकी का नियोजन करना।

इस योजनान्तर्गत कलस्टर (समूह) पद्धति पर बल दिया गया है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इसमें शिथिलता का भी प्रावधान समाहित है।

(4) आच्छादन– प्रत्येक विकास खण्ड के लक्ष्य को 75 प्रतिशत संख्या एवं धनराशि की दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों के रूप में मुख्य क्रियाकलाप के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा। लक्ष्य 25 प्रतिशत स्वरोजगारी द्वारा आच्छादित होगा।

नियोजन एवं चयन– (1) छोटे उद्यमों के प्रावधान के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक सहायतित परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। प्रायः यह देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आयोजन अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया भी जाता है तो अगली आयोजन अवधि में इसकी आय पुनः

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

गरीबी रेखा से नीचे हो जाती है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वरोजगारी की पारिवारिक आय का स्तर इतना हो कि यह आगामी आयोजन अवधि की सम्भावित गरीबी रेखा से ऊपर हो। सुरक्षित दशा में होने के लिए अपनाये जा रहे क्रियाकलाप से मासिक आय 2000 रूपये से कम न हो। जो बैंक ऋण की वापसी के अतिरिक्त हो यह सुनिश्चित करना योजना का उद्देश्य है कि सहायतित परिवार तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। अतः क्रियाकलाप का चयन इस प्रकार का हो कि जिससे स्वरोजगारी को अपनी परिसम्पत्ति तथा कौशल के आधार पर विस्तार का अवसर तीन वर्षों में या कम से कम तीसरे वर्ष में प्राप्त हो सके तथा स्वरोजगारी की शुद्ध आय रू0 2000 प्रतिमाह से अधिक हो।

(2) एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कलस्टर एप्रोज पर बल दिया जायेगा इसका अर्थ यह है कि विविध क्रियाकलाप हेतु वित पोषण करने के स्थान पर प्रत्येक विकास खण्ड द्वारा कुछ चुने हुये क्रियाकलाप के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाये, जिससे स्वरोजगारियों को उनके द्वारा दिये गये निवेश से दीर्घकालीन आय प्राप्त हो सके। इन प्रमुख क्रियाकलापों को प्रमुखतः कलस्टर्स में लिया जाये जिससे बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिकेजेज प्रभावकारी रूप से स्थापित हो सके। इस प्रक्रिया से न केवल अनुश्रवण बल्कि स्वरोजगारियों द्वारा वांछित विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने में सुविधा होगी।

प्रमुख क्रियाकलाप का चयन–

(1) प्रमुख क्रियाकलाप का चयन सीमित संसाधन, व्यक्ति की क्षमता व कौशल पर आधारित होगा। यह भी आवश्यक है कि उत्पादों के त्वरित विपणन की व्यवस्था हो।

(2) प्रमुख क्रियाकलाप के चयन के लिए गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के सेन्सस में अंकित गरीब परिवारों की रूपरेखा महत्वपूर्ण होगी इन आंकड़ों के आधार पर गरीब परिवारो को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है।

(क) ऐसे गरीब परिवार जिनके पास भूमि उपलब्ध है उस परिवार को अल्प सिंचाई सुविधायें अल्पकालीन ऋण व अन्य निवेश आसानी से उपलब्ध हो।

(ख) ऐसे गरीब परिवार जिनमें अन्तर्निहित कौशल उपलब्ध है यह प्राथमिक रूप से ग्रामीण शिल्पकार होंगे। उनके लिए उनके कौशल पर आधारित क्रियाकलाप चयनित होना चाहिए।

(ग) ऐसे गरीब परिवार जिनमें कुछ शिक्षित युवक/युवती बेरोजगार होगी। इनमें से कुछ को विगत वर्षों में ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षित किया गया होगा। इनके लिए प्रशिक्षण पर आधारित क्रियाकलाप चयनित किया जाय।

(3) प्रमुख क्रियाकलापों के चयन हेतु अधिकाधिक ग्राम प्रधानों, ग्रामीण गरीबों के समूह जैसे भूमिहीन श्रमिक, शिक्षित बेरोजगार, ग्रामीण गरीब भूस्वामी, शिल्पकार समहों आदि से विचार विमर्श किया जाये।

(4) एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कृषि क्रियाकलापों में सिंचाई सुविधा का प्रावधान अति महत्वपूर्ण है। सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के लिए साधन का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रामीण गरीबों की अधिकतम सम्भव भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लिया जाय।

(5) विकास खण्ड स्तरीय एस0जी0एस0वाई0 समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया के आधार पर 8 से 10 क्रियाकलापों को 5 वर्षों के लिए अभिज्ञापन किया जाय तथा प्राथमिकता के अनुसार उनकी क्रमवार सूची बना ली जाय। तत्पश्चात् इस क्षेत्र पंचायत के समक्ष संस्तुति हेतु रखा जाय। क्षेत्र पंचायत के संस्तुति सहित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सूची जनपद स्तरीय एस0जी0एस0वाई0 समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इन क्रियाकलापों का संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अलग–अलग तैयार किया जायेगा।

(6) जनपद स्तरीय एस0जी0एस0वाई0 समिति द्वारा विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों के अध्ययन कर 4 से 5 क्रियाकलापों का प्रति विकास खण्ड अनुमोदन किया जायेगा। ऐसा करते समय जनपद स्तरीय एस0जी0एस0वाई0 समिति सुनिश्चित करेगी कि उत्पादन सेवा प्रशिक्षण सुविधायें तथा विपणन जैसी जनपद में पूर्व से उपलब्ध अवस्थापना का उपभोग किया जायेगा। इस प्रकार चयनित क्रियाकलापों का अनुमोदन साशी निकाय से भी कराया जायेगा।

(7) उपरोक्त क्रियाकलाप सामान्य रूप से आगामी 5 वर्षों के लिए वैध होंगे। यद्यपि यह सर्वदा सम्भव है कि वास्तविक क्रियान्वयन के अनुभवों के आधार पर दो वर्षों के अन्त में इनकी पुनः समीक्षा एवं पुर्नमूल्यांकन कर लिया जाये।

कलस्टर्स–

(1) प्रमुख क्रियाकलापों को कार्यान्वयन के लिए प्रमुखतः कलस्टर्स में ही लिया जाये। यह ध्यान रखा जाय कि कलस्टर्स मात्र भौगोलिक समूह न हो, अपितु ऐसी इकाइयाँ हों, जिनके लिए बैकवर्ड व फारवर्ड लिंक्जेज प्रभावकारी रूप से स्थापित हो सके।

(2) कलस्टर्स की प्रत्येक क्रियाकलापों के लिए अलग अलग किया जायेगा। इसके प्रत्येक वर्ष कुछ ग्रामों का चयन किया जाय जिससे आवश्यक सम्बद्धतायें उपलब्ध हो तथा अनुश्रवण आसान हो जाय।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

(3) जिला स्तरीय एस0जी0एस0वाई0 समिति द्वारा विकास खण्डों को चयनित प्रमुख क्रियाकलापों की सूची भेजने के पश्चात् विकास खण्ड स्तरीय एस0जी0एस0वाई0 समिति द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने वाले ग्रामों का अभिज्ञापन किया जायेगा।

इलाहाबाद बैंक, जौनपुर द्वारा इस योजना में कोई सहायता नहीं की गई है।

1999 –, 2000 –, 2001 –, 2002 –, 2003 –

2. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना– रोजगार एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 30.11.97 को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को तीन पुरानी योजनाओं को मिलाकर किया गया। यह तीन योजना निम्न है–

(1) नेहरू रोजगार योजना

(2) स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो इन्टरप्राइजेज

(3) प्राइम मिनिस्टर इन्टीग्रेटेड अर्बन प्रावर्टी इरेडिकेसन प्रोग्राम

एस0जे0एस0आर0वाई0 नई युक्ति संगत निर्धनता उन्मूलन योजना की शुरूआत की गई, इस योजना के दो घटक हैं–

(अ) शहरी रोजगार योजना

(ब) शहरी मजदूरी परक रोजगार कार्यक्रम

व्यापारिक बैंकों को केवल प्रथम घटक को लागू करने हेतु शामिल होना है।

उद्देश्य– एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत आयप्रद स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिये अलग अलग शहरी निर्धन पुरूष लाभार्थियों, निर्धन महिला समूह को प्रशिक्षण देना एवं ऋण उपलब्ध कराना शामिल है।

पात्रता– पारिवारिक आय–गरीबी रेखा से नीचे हो।

मासिक आय–रू0 320.84 मात्र (जनगणना के अनुसार 1850/– प्रतिवर्ष 1991 के अनुसार)

नगर में कम से कम 3 साल से निवासी हो।

वह किसी संस्था का देनदार न हो।

शिक्षा में कक्षा 9 तक उत्तीर्ण न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अपेक्षित नहीं।

योजना 30 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी 3 प्रतिशत विकलांग अभ्यर्थी एवं स्थानीय जनसंख्या में अनु0जाति/ जनजाति की संख्या के अनुपात के आधार पर लाभ अवश्य देना होगा।

परियोजना लागत– रू0 50000/– अधिकतम

उपदान– परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 7500 रू0

मार्जिन एवं ऋण– अभ्यर्थी को 95 प्रतिशत प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत नगद दिया जायेगा तथा ऋण पर वही ब्याज लगाया जायेगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित होगा।

भागीदारी– यदि दो या दो से अधिक मिलकर ऋण योजना बनाते हैं, तो अधिकतम परियोजना में प्रत्येक भागीदार का हिस्सा रू0 50000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

संपार्श्विक– संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा गारंटी की आवश्यकता नहीं। ऋण से सृजित आपत्तियों, उपदान और मार्जिन मनी को ही केवल बैंक को दृष्टिकोण/बंधक/गिरवी रखा जायेगा।

प्रलेखीकरण– कम्पोजिट टर्म लोन

अदायगी– परियोजना लागत पर ऋण की अदायगी 6 से 18 माह में की जायेगी तथा बाद के वर्षों में 3 से सात वर्षों के बीच में की जायेगी।

क्रियाकलापों की सूची– (अ) बिना प्रशिक्षण/कुशलता वाली शहरी सेवाएँ– चाय की दुकान, समाचार पत्र/पत्रिका की दुकान, रिक्शा पुलर, सब्जी की दुकान, पान/सिगरेट की दुकान आदि।

(ब) विशेष कौशल वाली शहरी सेवाएँ– रेडियो, टीवी, वी0सी0डी0, घड़ी, कम्प्यूटर, मोटर, पम्पसेट, आदि की मरम्मत, ड्राइक्लिनिंग, सेनेटरी सेवाएँ आदि।

(स) विशेष कौशल वाली सूक्ष्म निर्माण इकाइयाँ– वाशिंग पाउडर, फल संरक्षण, आभूषण, जुदौई खिलौना निर्माण आदि। इलाहाबाद बैंक जौनपुर द्वारा इस योजना में योगदान किया गया है।

3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना– मानव संसाधन की दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। हमारे देश

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

में प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी उपलब्धता है, परन्तु प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी समुचित आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। शिक्षित बेरोजगारी को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1993 से तत्कालीन भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के लिए उद्योग सेवा तथा व्यवसाय के माध्यम से स्वतः रोजगार स्थापित करने की व्यवस्था है। चयनित लाभार्थियों हेतु बैंक ऋण के साथ–साथ अनुदान एवं अनिवार्य प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

पात्रता– प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता है:–

(1) अभ्यर्थियों को कम से कम 10 पास होना चाहिये अथवा उसके समकक्ष आई0टी0आई0 या अन्य तकनीकी संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त हो।

(2) अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनु0जाति जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों की आयु को 45 वर्ष अधिकतम तक शिथिलनीय है।

(3) पारिवारिक वार्षिक आय 40 हजार रूपये से कम होनी चाहिए।

(4) अभ्यर्थी किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक का डिफाल्टर न हो।

(5) योजना में उद्योग स्थापनार्थ एवं सेवा प्रयोजन हेतु 2 लाख रूपये तक तथा व्यवसायिक कार्यों हेतु ऋण की अधिकतम राशि एक लाख रूपये तक स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

(6) परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत उद्यमी को अपने मार्जिन मनी के रूप में नगद लगाना अनिवार्य है। शेष 95 प्रतिशत तक बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा 7500/– रू0 का अनुदान देय है।

(8) जनपद में निवास की अवधि कम से कम तीन वर्ष होना चाहिए।

(9) योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 22.5 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जाना आरक्षित है तथा पिछड़ी जातियों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षित है। महिलाओं को ऋण स्वीकृत किये जाने में वरीयता प्रदान की जाती है।

*****